न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः मुनेश चंद यादव, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी संख्या 122/2026

CNR No.- RJCH060004472026

1- सोनू पुत्र रमेश कुमार उम्र 25 साल निवासी पांडवान दादरी जिला चरखी दादरी, हरियाणा

2- प्रवीण पुत्र सुरेंद्र उम्र 31 साल निवासी बलकरा तहसील झोझू कला जिला चरखी दादरी, हरियाणा

- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ़ जिला चूरू।

प्रार्थना पत्र बाबत अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा 482 BNSS
प्र0सू0रि0 सं. 105/2026 पुलिस थाना हमीरवास
अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2), 62 BNS

उपस्थितः-

श्री मुकेश आर्य, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

श्री सुनील जांगिड, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश दिनांकः **05.06.2026**

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 BNSS के तहत पुलिस थाना हमीरवास की एफआईआर सं. 105/2026 के मामले में अपनी गिरफतारी से आंशकित होकर, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

2- बहस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्यतः यह तर्क दिया कि प्रार्थीगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ना तो कोई शादी करवायी गयी, ना ही उनका परिवादी व उसकी पत्नी से कोई संपर्क रहा, ना ही परिवादी ने उनके साथ लेनदेन किया व ना ही उनके द्वारा कोई धोखाधडी की गयी है। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण का नाम गलत रूप से दर्ज करवाया गया है, जबकि परिवादी ना तो प्रवीण को जानता है और ना ही उसका नाम पता मालूम है। अनुसंधान अधिकारी प्रकरण के परिवादी से मिलीभगत कर

अभियुक्तगण को गिरफतार करने पर आमदा है, जबकि उनसे कोई बरामदगी नहीं होनी है। प्रार्थीगण की गिरफतारी से उनकी समाज में साख गिर जाएगी, जबकि वे आगे अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है। इसलिए प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

3- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी ने सम्मिलित रूप से उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण के मुस्तगीस रामकरण के लडके की शादी शिवानी के साथ करवाना बताते हुए शादी के नाम पर लाखों रूपये व आभूषणों को हडप कर धोखाधडी करने का गंभीरतन प्रकृति का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

4- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया। केस डायरी एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 30.03.26 को परिवादी धर्मवीर पुत्र रामकरण ने न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ में एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि दिनांक 18.10.25 को परिवादी के पिता रामकरण गांव भैंसली में अपने घर पर थे तो उनके पास सुरेश छिंपी निवासी नवां आया और उन्हें बताया कि विजय पुत्र प्रताप सिंह निवासी नवां ने उसे कहा कि गांव में किसी लडके की शादी करवानी हो तो उसके जानकार व्यक्ति है, जो दिल्ली में शिवानी नाम की लडकी के साथ शादी करवा देंगें। धर्मेंद्र की शादी शिवानी के साथ करवाने और इस बाबत बिचौलिये आरोपीगण प्रवीण, सोनू, निशु, शिवानी, सुनिता, कोमल कौर व विजेंद्र को चार लाख पैंतीस हजार रूपये देने तथा शादी में शिवानी के सोने-चांदी के आभूषण डालने पडेंगें। रामकरण ने उन्हें घर बुलाकर बातचीत करने का कहा। दिनांक 01.11.25 को परिवादी के घर उक्त मुलजिमान आये तथा वहां रामकरण व अन्य व्यक्ति मौजूद थे। मुलजिमान ने धर्मेंद्र को पसंद होने का कहकर रूपये उन्हें देने व आभूषण शिवानी के डालने का कहा। उन्होंने शिवानी के माता-पिता की मृत्यु होना तथा उसका पालन उसकी मौसी सुनिता द्वारा करना बताते हुए उन्हें पांडवान दादरी आने एवं वहां से प्रवीण, सोनू व निशु के दिल्ली आना कहा। दिनांक 04.11.25 को परिवादी, उसका पिता रामकरण व विनोद मुलजिमान के साथ दिल्ली गये तो उन्होंने 4,35,000 रूपये देने का कहा, जिस पर रामकरण ने गवाहों के समक्ष उन्हें रूपये दे दिये एवं शादी दिनांक 21.11.25 को तय कर दी। बाद में निशु व सुनिता ने रामकरण को फोन कर शादी अगले दिन करने का कहा तो दिनांक 05.11.25 को धर्मेंद्र की शादी शिवानी के साथ चरखी दादी न्यायालय में करवा कर कोर्ट मैरिज के नाम पर 40,000 रूपये लिये तथा रामकरण द्वारा दिये गये रूपये मांगने पर गांव में आकर देने का कहा। दिनांक 06.11.25 को

रामकरण ने 1,11,145 रूपये के नये आभूषण व 3,00,000 रूपये के पूर्व में बनाये आभूषण शिवानी को दे दिये। दिनांक 08.11.25 को शिवानी ने उसकी मौसी का एक्सीडेंट होना बताकर उसे दिल्ली छोडने का कहने पर रामकरण उसे साथ ले गया एवं शिवानी ने बैग में आभूषण ले लिये और दिल्ली में परिवादी के पिता से 30,000 रूपये ओर ले लिये। इसके अतिरिक्त मुलजिमान ने धर्मेंद्र से स्वयं के नाम व सामान लेने बाबत एक दुकानदार के खाते में फोन-पे के जरिये कुल 75,000 रूपये ले लिये। परिवादीगण द्वारा शिवानी को लाने का कहने पर वे टालमटोल करते रहे एवं बाद में उन्हें मुलजिमान के आपराधिक गिरोह का पता चलने पर दिनांक 22.03.26 को परिवादी के पिता ने गांव में पंचायत बुलाई, जिसमें मुलजिमान भी आये और उन्होंने शिवानी का धर्मेंद्र के साथ नहीं रहना बताकर उसकी ओर भी शादी होना बताया। जिस पर परिवादीगण ने उनके द्वारा दिये 5,80,000 रूपये वापस मांगे तो उन्होंने देने से मना कर धोखाधडी की नियत से रूपये हडपना बताया। इस प्रकरण अभियुक्तगण ने परिवादीगण से कुल 5,80,000 रूपये व 4,11,145 रूपये के आभूषण हडप कर ठग लिये...आदि आदि पर पुलिस थाना हमीरवास में प्राथमिकी 105/26 दर्ज की गई एवं अब तक के अनुसंधान/प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के नाम नामजद एफआईआर दर्ज करवायी गयी है परंतु प्रकरण में अभी उनकी पतारसी जारी है। अभियुक्तगण के मोबाईल नंबरों की सीडीआर लगाई जाकर उनकी तलाशी जारी है, जिससे प्रकरण में अभी कोई अनुसंधान नहीं किया जा सका है। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी रखना बताया गया है।

5- प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आपस में आपराधिक षडयंत्र रचते हुए परिवादी रामकरण के पुत्र धर्मेंद्र की शादी सहअभियुक्ता शिवानी के साथ करवाने के नाम पर विभिन्न दिनाकों को परिवादी से कुल 5,80,000 रूपये व 4,11,145 रूपये के आभूषण की ठगी की गयी है। प्रकरण में परिवादी धर्मेंद्र ने अभियुक्तगण को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज करवायी है एवं पत्रावली पर सलंग्न स्क्रीन शॉट आदि से अभियुक्तगण को फोन-पे के जरिये रूपये दिया जाना स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है। गवाहों ने भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण से षडयंत्र कर रूपये व आभूषण हडपना बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर कपटपूर्वक व बेईमानीपूर्वक आशय से परिवादी धर्मेंद्र के पिता रामकरण को धर्मेंद्र की शादी शिवानी के साथ करवाने के नाम पर रामकरण व धर्मेंद्र से प्राप्त रूपयों को स्वयं में न्यसत किया जाना प्रकट आ रहा है, जिससे अभियुक्तगण की उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया संलिप्तता स्पष्टतया दर्शित हो रही है।

6- इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभी अभियुक्तगण से अनुसंधान किये जाने बाबत उन्हें गिरफतार करने हेतु तलाश की जा रही है, जिससे प्रकरण में अभी विस्तृत

अनुसंधान किया जाना भी शेष है। हालांकि पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का **आपराधिक रिकार्ड सलंग्न** नहीं किया गया है, परंतु कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित हो रही है।

7- अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त न करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कारित अपराध की गंभीरता व अपराध में उसकी संलिप्तता आदि समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

8- अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सोनू** पुत्र रमेश कुमार उम्र 25 साल निवासी पांडवान दादरी जिला चरखी दादरी, हरियाणा तथा **प्रवीण** पुत्र सुरेंद्र उम्र 31 साल निवासी बलकरा तहसील झोझू कला जिला चरखी दादरी, हरियाणा का यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 BNSS खारिज किया जाता है।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ (चूरू)

9- आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ (चूरू)